मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 29, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 90 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 81 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य संकाय विषय न होने से छात्राएं परेशान होने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना चंबल संभाग के मुख्यालय स्थित गंदे नालों की सफाई न कराये जाने,

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने विधानसभा जौरा क्र. 4 में भीषण आंधी से विद्युत तार ट्रांसफार्मर टूटने से सिंचाई कार्य बन्द होने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) डॉ. गोविंन्द सिंह, सदस्य ने प्रदेश में बजट व अनुदान के अभाव में छात्र छात्राएं भूखे मरने की कगार पर होने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल मसाजिद कमेटी द्वारा इमाम मो. अज्जीन हजरतों का वेतन न दिये जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने संजय गांधी ताप विद्युत केन्द्र बिरसिंहपुर से ड्राई फ्लाई एस (राखड़) फैक्ट्रियों से ओव्हर लोडिंग कर ले जाने से प्रदूषण फैलने,

(7) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के अवंतीपुर बड़ोदिया मार्ग के कुछ हिस्सों का डामरीकरण न किये जाने,

(8) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मंदसौर जिले में पानी नहीं बरसने एवं विद्युत विभाग द्वारा विद्युत प्रदाय नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति,

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने विजयपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम श्यामपुर एवं रघुनाथपुर में बंदरों का भयंकर आतंक होने, तथा

(10) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर जिले के गोरस आबदा मार्ग की जर्जर हालत होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-5-7-2006-1-पांच (18), दिनांक 31 मार्च, 2006, तथा

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष (2004-2005) तथा आयोग के वर्ष 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य ने धार जिले के ग्राम भरड़पुर में आदिवासी कृषकों की जमीन को अतिशेष घोषित किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हरीवल्लभ शुक्ला, सदस्य ने शिवपुरी जिले के -

(क) पोहरी नगर के सकुला नदी पर स्टाप डेम बनाये जाने,

(ख) ग्राम छर्च में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,

(ग) ग्राम फुलीपुरा में विद्युत सब-स्टेशन स्थापित किये जाने,

(घ) ग्राम ऐंचवाड़ा में हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(ङ) ग्राम कुंअरपुर से खद बेरजा खौदा तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री हमीद काजी, सदस्य ने बुरहानपुर जिले में -

(क) होम्योपैथी चिकित्सालय बुरहानपुर का नवीन भवन बनाये जाने,

(ख) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जिला कार्यालय खोले जाने,

(ग) आर.टी.ओ. कार्यालय खोले जाने,

(घ) ग्राम लौनी के पास भोलाना डेम का निर्माण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लालबाग स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(3) श्री सुदामा सिंह, सदस्य ने अनूपपुर जिले के -

(क) ग्राम अमगवां से बेंकटनगर तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ख) ग्राम बम्हनी से पीपरटोला तक सड़क बनाये जाने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) ग्राम हांसई से मेवदा तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम देवरी में खरंजा बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम गडौरा से देवस्थान तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की.

6. वक्तव्य

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने 28 जून, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्रमांक 903) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री रामपाल सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री ने मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 13 सन् 2006) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से काबिजों को बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, डॉ. गोविन्द सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(2) श्री सुखदेव पांसे

(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी **(भाषण अपूर्ण)**

(चर्चा अपूर्ण)

9. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज दिनांक 20 जुलाई,2006 को सांय 7.00 बजे विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें सुप्रसिद्ध बहुआयामी कलाकार श्री सत्यनारायण मौर्य देशभक्ति गीतों एवं भारतमाता की आरती की संगीतमय प्रस्तुति तथा विभिन्न महापुरूषों के चित्रों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करेंगे। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में पधारने का कष्ट करें।

(1.00 बजे से 2.35 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(6) श्री दुर्गालाल विजय

(7) श्री शंकरलाल तिवारी

(8) श्री कृष्णकुमार सिंह

(9) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल

(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(11) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(12) श्री अन्तर सिंह दरबार
(13) श्री ओमप्रकाश सखलेचा
(14) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(15) श्री लवकेश सिंह
(16) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

11. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज दिनांक 20 जुलाई,2006 को सांय 7.00 बजे विधान सभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें सुप्रसिद्ध बहुआयामी कलाकार श्री सत्यनारायण मौर्य देशभक्ति गीतों एवं भारतमाता की आरती की संगीतमय प्रस्तुति तथा विभिन्न महापुरूषों के चित्रों का सजीव चित्रण प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात् श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग के द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। सभी सदस्यगणों, पत्रकारों से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें।

4 बजकर 56 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 30, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.